यह जरूरी है कि इसके लिए चल रहे हवाई प्रत्यय अमृत भी शामिल हुए।

दैनिक जागरण दिनांक - 23-12-15

# आवास के लिए बीपीएल होना जरूरी नहीं

**केंद्रीय मंत्री से मिले श्रवण**

- अगले वित्त वर्ष से लागू होगी नई व्यवस्था, एसईसीसी बनेगा आधार
- 38 लाख गृहविहीनों को आवास दिलाने का केंद्र का आश्वासन

**राज्य ब्यूरो, पटना :** इंदिरा आवास के लिए बीपीएल सूची में शामिल होना जरूरी नहीं रहेगा। केंद्र सरकार अगले वित्तीय वर्ष से नई व्यवस्था लागू करेगी, जिसके तहत लाभुकों का चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना के आधार पर होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने मंगलवार को राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को यह जानकारी दी। उन्होंने श्रवण कुमार को आश्वासन दिया कि बिहार के 38 लाख वैसे गृह विहीन परिवार को केंद्र सरकार इंदिरा आवास मुहैया कराएगी, जो केंद्र सरकार की इंदिरा आवास संबंधी नई परिभाषा से वंचित हो रहे हैं।

श्रवण कुमार ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं में आ रहीं दिक्कतों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास के लिए केंद्र से मिलने वाली राशि के अनुपात में परिवर्तन के साथ-साथ लक्ष्य में भी कटौती की गई है। जिन जिलों के लिए विगत एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है, उन्हें तत्काल राशि मुहैया कराई जाए। सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए भी राशि नहीं मिली है। उन्होंने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मियों के वेतन के लिए तत्काल 40 करोड़ की राशि की मांग की। उन्होंने एनआरएलएम तथा एनआरलीपी के तहत प्रस्तावित क्रमशः 750 करोड़ एवं 170 करोड़ रुपये भी यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का आग्रह किया। श्रवण कुमार ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने और जनसंख्या के आधार पर मनरेगा का लेबर बजट निर्धारित किए जाने पर भी जोर दिया। इस मुलाकात के दौरान सांसद कौशलेंद्र कुमार, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव सदानंद एवं मनरेगा और डीआरडीए से जुड़े भारत सरकार के अधिकारी भी मौजूद थे।